सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
वाद संख्या — 49/2018

धर्माराम वगै बनाम राजस्थान सरकार

<u>संशोधित आदेश दिनांक 17.06.19</u>

उक्त प्रकरण में पूर्व निर्णय दिनांक 18.05.18 के आदेश में संशोधन करते हुए पेज संख्या 2 के पैरा संख्या 3 के पक्तिं संख्या 08 में एंव डिक्री दिनांक 18.05.18 के पैरा संख्या 1 की पक्तिं संख्या 6 में खसरा संख्या **3857 के स्थान पर 3875** पढा जावे। यह आदेश उक्त निर्णय दिनांक 18.05.18 का पार्ट माना जावे।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन देवी आर.ए.एस.

वाद संख्या 49/2018

1. धर्माराम पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र पूरा
2. गोरधन पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र पूरा
3. पूजा पुत्री स्व. मनीराम पौत्री स्व. भंवरलाल प्रपौत्री पूरा ना.बा.
4. अनिता पुत्री स्व. मनीराम पौत्री स्व. भंवरलाल प्रपौत्री पूरा ना.बा.

ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक गोरधन पुत्र स्व. भवंरलाल पौत्र पूरा
समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

...... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ,सपठित धारा 136 , 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री धनीराम – अभिभाषक वादीगण
श्री सुभाषचन्द गोयल – सरकार पेरोकार

डिकी :– दिनांक 18.05.18

श्रीमती सुमन देवी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व हाजिर श्री धनीराम अभिभाषक मुद्दई एंव सरकार पेरोकार श्री सुभाषचन्द गोयल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वाद पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते है कि **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते है कि वह ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन के आधारभूत जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के खाता संख्या 891 नया 827 पुराना के खसरा नम्बर 3870, 3872, 3857, 3973, 5358, 5387 कुल किता 6 रकबा 2.08है. में मनीराम गोरधन परमाराम पिता पूरा कौम रेगर सा. देह के स्थान पर मनीराम , गोरधन , धर्माराम पुत्र भवंरलाल कौम रेगर सा. देह अकिंत किया जावे।**

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.05.18 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुगन देवी आर.ए.एस.

वाद संख्या 49/2018

1. धर्माराम पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र पूरा
2. गोरधन पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र पूरा
3. पूजा पुत्री स्व. मनीराम पौत्री स्व. भंवरलाल प्रपौत्री पूरा ना.बा.
4. अनिता पुत्री स्व. मनीराम पौत्री स्व. भंवरलाल प्रपौत्री पूरा ना.बा.

ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक गोरधन पुत्र स्व. भवंरलाल पौत्र पूरा
समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

...... प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ,सपठित धारा 136 , 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री धनीराम – अभिभाषक वादीगण
श्री सुभाषचन्द गोयल – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 18.05.18

संक्षिप्त में वाद पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ,सपठित धारा 136 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का प्रतिवादी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन में वादीगण की खातेदारी की आराजीयात वर्किंग खाता संख्या 365 नया 380 पुराना के खसरा नम्बर 3048, 3054, 3056, 3061, 4015, 4023 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 18 बीस्वा भूमि वादी के दादा श्री पूरा पुत्र मंगला की तन्हा खातेदारी आराजीयात होकर काबिज काश्त चले आ रहें है। उक्त खसरा नम्बरान के वर्तमान आधार जमाबदीं में खाता संख्या नया 891 पुराना 827 के खसरा नम्बर 3870, 3872, 3857, 3973, 5358, 5387 कुल किता 6 रकबा 2.08है. बने । उक्त कृषि आराजी का वादी के दादा पूरा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात का वसीयत नामा वादी के नाम निष्पादित कर दिया था। वसीयत नामा के निष्पादन के समय वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका था तथा वादी के दादा जीवित थे इस तथ्य का हवाला वसीयत नामा में अकिंत वादी के पिता का नाम स्वर्गीय भंवरलाल अकिंत है। वादी के दादा के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात का वसीयत नामा. संख्या 21 दिनांक 22.05.1985 के अनुसार वसीयत द्वारा पूरा खाता पर मनीराम ,गोरधन, धर्माराम पौत्रगण पूरा जाति रेगर अकिंत हो गया जिसमें सहंवन से वादी के पिता भंवरलाल के स्थान पर वादी के दादा पूरा का नाम अकिंत हो गया । पश्चात परिवर्तित जमाबदीं सवंत 2060 से 2060 व सवंत 2065 से 2068 तथा सवंत 2069 से 2072 में बदलकर पूरा अकिंत कर दिया गया तथा वादी धरमाराम के स्थान पर परमाराम अकिंत कर दिया गया। अतः वाद पत्र स्वीकार फरमाकर वर्तमान जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 में

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 891 में मनीराम गोरधन परमाराम पिता पूरा के स्थान पर मनीराम , गोरधन , धर्माराम पुत्र भवंरलाल कौम रेगर अकिंत किये जाने का आदेश फरमावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। राजकीय पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। वर्किंग जमाबदीं , वर्तमान जमाबदीं मिलान क्षेत्रफल एंव वसीयतनामा का अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूरा वादी का दादा था एंव दादा के जीवित रहते वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका था वर्तमान जमाबदीं में अकंन दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह **ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन के आधारभूत जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के खाता संख्या 891 नया 827 पुराना के खसरा नम्बर 3870, 3872, 3857, 3973, 5358, 5387 कुल किता 6 रकबा 2.08है. में मनीराम गोरधन परमाराम पिता पूरा कौम रेगर सा. देह के स्थान पर मनीराम , गोरधन , धर्माराम पुत्र भवंरलाल कौम रेगर सा. देह अकिंत किया जावे।** आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अविलम्ब अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा कैम्प कोर्ट जेठाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पीसागंन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2019.11.29 18:26:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: